

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

भौम अधिकारी - कृष्णपाल सिंह चौहान, आर ए एस.

मा संख्या - 61/19 प्रा०पत्र

श्री फुला जोगी गणेश भील जिवासी-बातलास तहसील-गांडल

-पार्थी

यमान

श्री चान्हु सारंग भील जिवासी-बातलास तहसील-गांडल [नंगौर]
(सिद्धोपि प्रा०पत्र सलंगन)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 16-5-19

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि याम बातलास पटवार हलका बातलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1136/968, 3037/1054 कुल कित्ता 02 रकबा 03 मांघी वीधा 10 बिस्वा स्थित है; वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जाये।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 4-4-19 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार का हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर याम बातलास पटवार हलका बातलास तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं. 1136/968, 3037/1054 कुल कित्ता 01 रकबा 03 मांघी वीधा 10 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक वादरास को 300/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् श्री मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। फराल खली होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल

प्रतिलिपि - तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल